Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: 7.866, Volume 15, No. 04(II), October-December, 2025, pp. 178-181

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत मिड डे मिल योजना में परिवर्तन

शिम्भू दयाल मीणा*

रिसर्च स्कॉलर, राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: sdmeenapdm1972@gmail.com

Citation: *मीणा, शिम्भू. (2025). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत मिड डे मिल योजना में परिवर्तन. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 15(04 (II)), 178-181.*

सार

किसी भी देश का विकास शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास संभव है। भारत में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु 1968 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, इसके बाद सन 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है 102 जिसे 1992 में पुनः संशोधन किया गया। इसके बाद 1986 वाली शिक्षा नीति को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुई जिसमें कक्षा 10 के बाद के दो वर्ष को बदलकर 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया गया है। इस नीति का उददेश्य एक ऐसा शिक्षा तंत्र बनाना है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित है और सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में मदद करें। यह शिक्षा नीति भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक एकल नामांकन अनुपात (जी ई आर) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। तथा शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मिड डे मिल योजना का विस्तार प्री प्राइमरी स्तर तक करने और इसमें नाश्ता शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा सकें। मिड डे मिल योजना को राष्ट्रीय पोषण मिशन जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, के रूप में पुनर्गठित किया है। जिसमें पोषण पर अधिक जोर दिया गया है।

शब्दकोश: *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम पोषण योजना, प्री प्राइमरी, स्वास्थ्य।*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जावें अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार, 2009(राइट टू एजूकेशन एक्ट 2009) पारित किया गया जिसके तहत देश के सरकारी स्कूलों में 6–14 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया एवं निजी विधालयों को अपनी कुल सीटों की एक चौथाई सख्या आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 में लागू की गई जो कि शिक्षाविद डॉ डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुशंषा के आधार पर लागू की गई।इसके पश्चात द्वितीय शिक्षा नीति मई 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनी जो भारत की पहली ऐसी नीति है जिसमें नीति के साथ–साथ इसके क्रियान्वयन के लिए एक पूरी योजना प्रस्तुत की गई और इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए। जिसका प्रमुख उददेश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और उसे भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनाना जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति समुदायों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विधालयों की भी स्थापना करना ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर प्रदान किये जा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

इस हेतु गठित समिति के अध्यक्ष अन्तरिक्ष वैज्ञानिक डॉ.के. कस्तूरीरंगन को बनाया गया। समिति का गठन जून में हुआ, मई 2019 में समिति ने नीति का डॉफट सरकार को प्रस्तुत किया जो 29 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके बिंदु निम्नानुसार हैः–

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक विद्यार्थियों के प्रत्येक सकल नामांकन अनुपात (जी. आई. आर) 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नीति में शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.)के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अभी यह 4.43 प्रतिशत हैं
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया।
- ई–पाठयक्रम को बढावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलोजी (एन इ एफ टी)बनाया जा रहा है।
- शिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन को जोडा गया है जिसमें छात्र विज्ञान, वाणिज्य के साथ–साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवी–बारहवीं बोर्ड और कॉलेज के ग्रेजुएशन स्तर पर चुन सकता है।
- शिक्षा नीति के तहत मिड डे मिल योजना का विस्तार प्री प्राइमरी तक करने और इसमें नाश्ता शामिल करने का प्रावधान रखा गया है ताकि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार हो सकें।
- मिड डे मिल योजना का नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण योजना है या पीएम पोषण योजना।
- योजना का उददेश्य सरकारी ओर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की पोषण शक्ति को बढाना तथा उपस्थिति में वृद्वि करना है।

साहित्य समीक्षा

संक्षेप में पूर्व अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षक, सामर्थ्य में सुधार केलिए नवीन नीतियों बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकार आपूर्ति बढाना तथा स्कॉलरशिप के साथ योग्यता आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके संकाय सदस्यों के रूप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन कर 2030 तक अपने उददेश्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा।

अध्ययन का उददेश्य

इस अध्ययन का मुख्य उददेश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालना तथा इनईपी 2020 के तहत मिड डे मिल जो अब पी एम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें हुये परिवर्तनों का अध्ययन करना है। इसके अन्य उददेश्य निम्न हैः–

- नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक शिक्षा में हुये बदलाव को देखना।
- सकल नामांकन अनुपात में वृद्वि का आंकलन करना।

- शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत खर्च की झलक देखना।
- प्री प्राइमरी शिक्षा में पी एम पोषण येाजना का विस्तार व परिवर्तन को जानना।

अनुसंधान कियाविधि

यह अध्ययन आलोचनात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करते हुये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्त्रोतों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के विरोध संदर्भ के साथ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के सम्पूर्ण अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 में मिड डे मिल में परिर्वतन के मुख्य बिंदु

- **योजना का विस्तार एंव नाश्ता का प्रावधानः–** मिड डे मिल योजना जो अब पी एम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है, का प्री–प्राइमरी स्तर के बच्चों तक बढाया जाएगा और इसके अतिरिकत भोजन के रूप में नाश्ता भी शामिल होगा।
- **पोषण पर अधिक जोर–** मिड डे मिल योजना का पुर्नगठन करके पोषण पर अधिक ध्यान दिया गया है जिससे स्वस्थ भोजन और आवश्यक पोषक तत्व बच्चों को मिल सकें। खराब पोषण से बच्चों की सीखने की क्षमता कम हो जाती है।
- **स्वास्थ्य पर ध्यान रखनाः–** बच्चों के वजन, लम्बाई और हीमोग्लोबिन के स्तर की नियमित जांच के माध्यम से उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जायेगी।
- **पोषण के मानकः–** कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और कक्षा 6–8 के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्रम प्रोटीन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **स्वास्थ्य कार्ड जारी करनाः**– सभी स्कूली छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाए और उनका शत प्रतिशत टीकाकरण हो। इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाऐंगे। 5 साल की उम्र के पहले सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा (प्री प्राइमरी) या बाल वाटिका को भेजे जावें। प्रारंभिक कक्षा में पढाई मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर होगी और ऐस केन्द्रों में ज्ञान संबंधी, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षमताओं के विकास को रखा गया है।
- **पोषण अभियानः–** इस पोषण अभियान की शुरूआत 8 मार्च 2018 को हुई थी, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के झूंझूनू जिले से शुरू किया गया था। इसका उददेश्य बच्चों , किशोरियो, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय पोषण सप्ताहः–** भारत में हर साल 1 से 7 सितम्बर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है जिसका उददेश्य लोगों को संतुलित और पोष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस साल 2025 की थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही खाए' जो कुपोषण से निपटने के लिए प्रेरित करती है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। जिसमें पोषण अभियान, मिड डे मिल योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाओं का समर्थन हासिल होता हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयू एस ओ) पोषण शरीर की उर्जा और ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फूड सेफटी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 74 प्रतिशत आबादी हेल्दी डाइट का खर्च नही उठा सकती और 39 प्रतिशत लोग पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे है। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व पोषण दिवस मनाया जाता है। जो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता प्रदान करता है।

राजस्थान मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

राजस्थान सरकार द्वारा मिड डे मिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कक्षा 1से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 02 दिन दूध उपलब्ध करवाया जावेगा। योजना के तहत राजकीय विधालयों में अध्ययनरत लगभग 69 लाख 25 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस

को दूध उपलब्ध करवाया जावेगा। कक्षा 1से 5 तक के बच्चों को 150 मिली लीटर एवं कक्षा 6 से 8तक के बच्चों को 200 मिली लीटर दूध वितरित किया जाएगा। इसके लिए पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जावेगी। आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विधालयों तक पाउडर मिल्क की आपूर्ति की जावेगी।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सितम्बर 2024 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना करने का फैसला किया है। इसके अन्तर्गत प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विधार्थियों को स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म दूध पिलाया जा रहा है, लगभग 57 लाख स्कूली बच्चें लाभांवित हो रहे है जिसमे लगभग 722 करोड रूपये की राशि राज्य सरकार वहन कर रही है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सामान्य शिक्षा प्रणाली से बिल्कूल भिन्न है। जिसकी जानकारी हेतु बच्चों को मिड डे मिल (पोषण योजना) ये जोडकर नामांकन में वृद्वि करना, ड्रापआउट में कमी लाना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे शारीरिक, आर्थिक एंव सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस आधार पर किसी शिक्षा पद्वति का मूल्यांकन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में क्रियान्वित करना एंक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं । शिक्षा नीति में कक्षा 5 व 8 तक मातृभाषा में ही शिक्षण की बात कही गई है जो केवल वैकल्पिक है आवश्यक नही निजी क्षेत्र के विधालयों में कोई बाध्यता ना होने से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो सकता है। मिड डे मिल (पीएमपोषण) योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे शतप्रतिशत हासिल करने के लिये अध्याय को तथा सरकार तथा सरकार की नीत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चों का विकास हो सके और रोजगार के अवसरों में वृद्वि लाई जा सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक परिवर्तनों सहित प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
2. राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर जयपुर संस्करणं।
3. www.education.gov.in
4. www inspira journal.com
5. www.drishtiias.com
6. testbook.com
7. www.patrika.com
8. socialaudit.rajasthan.gov.in
9. mid day meal authority
10. www.education.gov.in
11. wwwresearch gate.net

❑❑❑